राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बीदासर

प्रकरण संख्या 01/2019 दायरा दिनांक 03-04-2019 पीठासीन अधिकारी

श्री अमीलाल यादव
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर

राजस्थान सरकार बनाम पटवारी पटवार मण्डल ढाणी स्वामीयान

प्रार्थी.................

बनाम

भैराराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल नि. ढाणी स्वामीयान

अप्रार्थी.............

निर्णय दिनांक 22.04.2019

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है, पटवारी पटवार मण्डल ढाणी स्वामीयान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी भैराराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी स्वामीयान ने रोही ग्राम ढाणी स्वामीयान के खसरा नं. 44 किस्म गै. मु. रास्ता रकबा 01–17 बीघा भूमि में से 6X2 वर्ग फुट भूमि पर नाजायज लकड़ी का खुंटा व पट्टी रोपकर अतिक्रमण कर लिया है। अप्रार्थी को धारा 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नीयत तारीख पेशी दिनांक 10.04.2019 को अनुपस्थित रहा इसलिए पत्रावली में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं पटवारी पटवार मण्डल ढाणी स्वामीयान के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट नकल एक्स, जमाबन्दी व पी 14 से स्पष्ट है कि अप्रार्थी भैराराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी स्वामीयान ने रोही ग्राम ढाणी स्वामीयान के खसरा नं. 44 किस्म गै. मु. रास्ता रकबा 01–17 बीघा भूमि में से 6X2 वर्ग फुट भूमि पर नाजायज लकड़ी का खुंटा व पट्टी रोपकर अतिक्रमण कर लिया है। नियमानुसार अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है और भू0अ0 निरीक्षक दुंकर को आदेशित किया जाता है कि आप अतिक्रमियों को भौतिक रूप बेदखल करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा पटवारी पटवार हल्का ढाणी स्वामीयान को आदेशित किया जाता है कि आप अप्रार्थीगण से शरह पड़ता लगान ग्राम ढाणी स्वामीयान 00.50 रू प्रति बीघा की दर का 50 गुणा राशि अतिक्रमित भूमि 6X2 वर्ग फुट की राशि 05/– पॉच रूपये वसूल करें तथा तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी करना सुनशिचित करें।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया गया एवं सरे इजलास सुनाया गया।

उक्त मांग कायमी रा.ले. 4 के पृष्ठ संख्या 1 पर दर्ज की गई है।

तहसील राजस्व लेखाकार
बीदासर

(अमीलाल यादव)
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर